रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED NO. D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 1975/श्रावण 4, 1897

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26, 1975/SRAVANA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a compilation

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1975

सा० का० नि० 898—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय स्थापना पद) भर्ती नियम, 1964 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय स्थापना पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय स्थापना पद) भर्ती नियम 1964 की अनुसूची की मद (1) में अधीक्षक के पद से सम्बन्धित कालम 12 में प्रविष्टिया में "8 वर्ष की सेवा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "7 वर्ष की सेवा" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या 26/8/75–प्रशिक्षण-2]

एम० वाधवानी, निदेशक (प्रशिक्षण)

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 27th May, 1975

G.S.R. 898.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the L.B.S. National Academy of Administration (Office Establishment Posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1 (1) These rules may be called the L B.Shastri National Academy of Administration (Office Establishment Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Schedule to the National Academy of Administration (Office Establishment Posts) Recruitment Rules, 1964, in the entries in column 12 pertaining to the post of superintendent in item (i), for the figures and words "8 years' service" the figure and words "7 years' service" shall be substituted.

[No. 26/8/75-Trg II]

M. WADHWANI, Director (Trg)

नई दिल्ली, 11 जून, 1975

सा० का० नि० 899.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के खण्ड 3 उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उसके निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) प्रथम संशोधन नियम, 1975 है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम वायुयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में अनुसूची के खण्ड 2 के पैरा 2.1 के नीचे टिप्पण 2 की मद (क) के प्रारम्भिक भाग में "वायु यातायात नियंत्रण" शब्दों के स्थान पर "वायु यातायात नियंत्रण और फ्लाइंग क्लब वायुयान की ऐसी प्रशिक्षण उड़ानें जो वायु यातायात नियंत्रण द्वारा अनुज्ञात की जा सकेंगी" शब्द रखे जाएंगे।

[फा० ए० वी० 11013/2/72-क/ए आर/ए एम(2)/75]

एस० एकम्बरम, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th July, 1975

G.S.R. 927.—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, were published as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), at pages 2586-2587 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 12th October, 1974, with the notification of the Government of India, in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, No. GSR. 1110, dated the 24th September, 1974, inviting objections or suggestions from all persons likely to be effected thereby till the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 12th October, 1974.

And whereas no objection or suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, nemely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in item (a) of note 2. under paragraph 2.1 of Section 2 of Schedule IV, in the opening portion, for the words "Air Traffic Control", the words; "Air Traffic Control and such training flights of Flying Club aircraft as may be cleared by Air Traffic Control" shall be substituted.

[F. No. AV-11013/2/72-A/AR/AN(2)/75]

S. EKAMBARAM, Deputy Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 928.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-1 और श्रेणी 2 इंजीनियरी पद) भर्ती नियमावली 1972, जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1206 दिनांक 30-9-1972 के साथ प्रकाशित हुई थी, में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 इंजीनियरी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 इंजीनियरी पद) भर्ती नियमावली, 1972 की अनुसूची में, सहायक इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सम्मुख वर्तमान टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"टिप्पणी : किसी भी एक वर्ष में पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पदोन्नति के पात्र 75 प्रतिशत उम्मीदवारों से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पदोन्नति कोटे से कम होगी तो रिक्तियां दो और वर्ष के लिये आगे ले जाई जायेंगी। उसके बाद न भरी गई शेष रिक्तियां सीधी भर्ती कोटे में जोड़ी जा सकती हैं।

[संख्या 2/13/72-एस-3]

आर० के० गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th July, 1975

G.S.R. 928.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I and II Engineering Posts) Recruitment Rules, 1972, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1206, dated 30th September, 1972 namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment Rules, 1972, against serial number 2, relating to the post of "Assistant Engineer", for the existing 'Note' the following shall be substituted namely:—

"Note: The number of persons promoted should on no occasion exceed 75 per cent of the candidates eligible for promotion in any one year. If the number found suitable for promotion falls short of the promotion quota, the vacancies shall be carried forward for two more years. Thereafter the vacancies, remaining unfilled may be added to the direct recruitment quota."

[No. 2/13/72-SIII]

R. K. GUPTA, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

सा० का० नि० 929.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति डाक तार (रिपीटर स्टेशन सहायक और अन्य पदों) के भर्ती नियम, 1974 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1). इन नियमों का नाम डाक-तार (रिपीटर स्टेशन सहायक और अन्य पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।